Title: Election of two member from Lok Sabha to Coir Board.

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं प्रताव करता हूं:

"कि क्यर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (इ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए क्यर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

## MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (e) of sub-rule (1) of the rule 4 of the Coir Industry Rules, 1954, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two Members from amongst themselves to serve as members of the Coir Board for a term to be specified by the Central Government."

The motion was adopted.